भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0–01/2014–15

1. अंचल अधिकारी, गोड्डा.....वादी
2. परिजात कुमार श्रीवास्तव

बनाम्

सरिता देवी.....प्रतिवादी

–:आदेश:–

04.02.23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख बद्ध कागजातो का अवलोकन किया। वर्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी गोड्डा के पत्रांक–706/रा0 दिनांक–16.10.2014 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी गोड्डा ने उल्लेख किया है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503, जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–49 रकवा–00–02–00 धूर भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उक्त जमीन से विपक्षी सरिता देवी पति गणेश पंडित साकिन–साकेतपुरी, गोड्डा को उच्छेद करने के लिए लाया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से मकान बना हुआ है एवं चाहार दिवारी किया हुआ है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मजुदार है। उपरोक्त वाद में विपक्षी उपस्थित हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी सरिता देवी इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए आवेदक का विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त प्रश्नगत जमीन मौजा–गोढ़ीमाल जमाबंदी नं0–50, दाग नं0–49 रकवा–00–02–00 धूर जमीन विपक्षी सरिता देवी के पिता नरेश पंडित को वंसोवास हेतु वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा के द्वारा जमांबदी रैयत की पुत्री रानीवाला देवी द्वारा कुर्फा से बन्दोवस्त कर दिया है एवं उनके सहमति से उक्त जमीन पर विपक्षी सरिता देवी के पिता के द्वारा मकान का निर्माण किया गया है। विपक्षी का यह भी कथन है कि उक्त जमीन के बंदोबस्त दार नरेश पडित अपनी पुत्री सरिता देवी को विवाह के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है। विपक्षी का विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त जमीन पर वर्ष 1936 ई0 से ही उनका तथा उनके पुर्वज का मकान बना हुआ है। जिसमें सपरिवार वसोवास करते चले आ रहे है उक्त मकान का गोड्डा नगर परिषद से होलडिंग टेक्स आदा कर रसीद प्राप्त कर रही है। उक्त मकान में उनके नाम बिजली कनेक्सन और बिजली का भुगतान कर बिजली बिल प्राप्त कर रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके एवं उक्त जमीन पर दखलकार एवं मकान के संबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जमांबदी रैयत के वारिशान शपथ कर्त्ता द्वारा यह बाद स्वीकार किया गया है कि विपक्षी को उक्त जमीन कुर्फा के आधार पर दिया गया है जिसमें विपक्षी का मकान है।

जिसमे सपिरवार वसोवास करते चले आ रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्य नहीं रह गया है। उसका स्वरूप बसौढ़ी हो गया है और मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नही हो सकता है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को इस संबध में यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव के द्वारा श्रीमान के यहॉ लंबित आर0ई0आर0 सं0–01/2014–2015 प्रश्नगत जमाबंदी संख्या 50 दाग नं0–49 पर सरिता देवी पति गणेश पंडित का मकान बने अवस्थित होने के कारण परिजात कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक–05.06.2015 को मुकदमा वापस लेने का आवेदन दिया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के वारिशानों को विपक्षी का उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान बने रहने से और बसोबास करने से उनकी सहमती है और बसोबास करने उनको कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी द्वारा श्री मान् उपायुक्त महोदय गोड्डा का न्यायालय का RMA No.13/2017-2018 भवानी देवी बनाम् परिजात कुमार श्रीवास्तव के आदेश में पारित आदेश दिनांक 03.11.2021 का अभि प्रमाणित प्रति का छायाप्रति समर्पित करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–49 में इस तरह के मामले श्री मान उपायुक्त महोदय गोड्डा द्वारा मकान बने रहने के कारण उक्त जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा द्वारा उच्छेदी के आदेश को निरस्त करते हुए अपील कर्त्ता भवानी देवी का अपील को स्वीकृत किया है। एवं उनके दखल कब्जा को बरकरार रखा है इस वाद में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप दखल कब्जा एवं मकान बना हुआ है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत नहीं है। इसलिए विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत नहीं होगा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेख बद्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा गोढ़ी माल थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 दाग नं0–49 गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मजुमदार के नाम से दर्ज है।

विपक्षी द्वारा उक्त जमाबंदी नं0 50 के दाग नं0–49 रकवा–00–02–00 धूर जमीन विपक्षी सरिता देवी, पति–गणेश पंडित साकिन– साकेतपुरी को कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं जिसेसें जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव अपने शपथ पत्र संख्या 814 दिनांक–18.02.2014 के द्वारा स्वीकार किया है कि विपक्षी को प्रश्नगत जमीन 1936 ई0 में कुर्फा से प्राप्त हुआ है। एवं कुर्फा के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी मकान बना कर निवास कर रहे है।

3/18

अंचल अधिकारी गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर विपक्षी का मकान एवं चाहर दिवारी के साथ दखल कब्जा है आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि ऐसी परिस्थिति में विपक्षी को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है आदेश की प्रति अंचल अधिकारी गोड्डा को भेजे

लिखाया एवं शुद्ध किया

04.2.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

04.2.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय गोड्डा।

ज्ञापांक 157/ दिनांक 23/3/2023

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी गोड्डा सदर को पारित आदेश दिनांक 04/2/2023 की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा
21.03.2023

O/C

4/2/2023

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 13:03:48 +05:30
Location: 192.168.29.124